मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय आवक क्र. 2681 दिनांक 03/10/2025 (म.प्र.) भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30 /09/2025

क्रमांक **/के.सी.-2/98/2025-26:-** राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के पत्र क्रमांक 02-77/2024/08/प.-2/7524/2024 दिनांक 06.12.2024 द्वारा कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत यांत्रिक सहायक (उपयंत्री) के सीधी भर्ती से चयनित (अलिपकीय वर्ग) यांत्रिक सहायक (उपयंत्री) के पद पर म.प्र. वेतन पनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतनमान रूपये 32800-103600 - लेवल - 8 इंडेक्स -1 (पूर्व वेतनमान रूपये 9300-34800+3200) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुये उनके नाम के समुख दर्शये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है -

क्र.	उम्मीदवार का नाम	गृह जिला	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
1.	श्री विशाल चौधरी, पिता श्री मूलचंद चौधरी	देवास	सामान्य	संचालनालय कृषि अभियांत्रिक भोपाल
2	श्री पवन गुंडारिया, पिता श्री कन्हैयालाल गुंडारिया	मंदसौर	सामान्य	सहायक कृषि यंत्री रतलाम
3	श्री कपिल जाट, पिता श्री बद्रीप्रसाद जाट	हरदा	सामान्य	सहायक कृषि यंत्री देवास
4	श्री घनश्याम पवार, पिता श्री किशोर सिंह	रतलाम	सामान्य	सहायक कृषि यंत्री नीमच
5	श्री अतुल कुमार, पिता श्री तुलसीराम	जबलपुर	सामान्य	सहायक कृषि यंत्री दतिया
6	सुश्री अनुशा अवस्थी, पिता श्री सरोज कुमार अवस्थी	शहडोल	सामान्य	सहायक कृषि यंत्री मुरैना
7	श्री अभिषेक जैन, पिता श्री अजय कुमार जैन	शिवपुरी	आर्थिक रूप से कमजोर	सहायक कृषि यंत्री छतरपुर
8	श्री युवराज पाटीदार, पिता श्री ओम प्रकाश पाटीदार	धार	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक कृषि यंत्री अलीराजपुर
9	सुश्री हर्षिता व्यास, पिता श्री जितेन्द्र कुमार व्यास	जबलपुर	सामान्य	सहायक कृषि यंत्री सागर
10	श्री संदीप टेकाम, पिता श्री रामसिंह टेकाम	जबलपुर	अनु.जनजाति	सहायक कृषि यंत्री रायसेन
11	सुश्री रेशम चावला, पिता श्री अजय चावला	जबलपुर	सामान्य	कृषि यंत्री सतना

स्था।।

3/10/2025

12	सुश्री मेधा मिश्रा, पिता श्री गिरीश मिश्रा	अनूपपुर	आर्थिक रूप से कमजोर	सहायक कृषि यंत्री रीवा
13	श्री रविन्द्र सिंह सिकरवार, पिता श्री बलदेव सिंह सिकरवार	मंदसौर	आर्थिक रूप से कमजोर	सहायक कृषि यंत्री राजगढ़
14	श्री विवेक कुमार सूर्यवंशी, पिता श्री रघुराय प्रसाद सूर्यवंशी	कटनी	अनु. जाति	सहायक कृषि यंत्री सिंगरोली
15	श्री हर्षित मगरे, पिता श्री भीम सिंह मगरे	बड़वानी	अनु. जाति	सहायक कृषि यंत्री धार
16	श्री नीरज मण्डलोई, पिता श्री श्यामलाल मण्डलोई	धार	अनु. जनजाति	सहायक कृषि यंत्री शाजापुर
17	श्री अविनाश मेश्राम, पिता श्री गोपाल मेश्राम	बालाघाट	अनु. जाति	सहायक कृषि यंत्री दमोह
18	श्री सचिन गजेन्द्र, पिता श्री जगतराम गजेन्द्र	सिवनी	अनु. जाति	सहायक कृषि यंत्री हरदा
19	सुश्री जागृति चौधरी, पिता श्री रामसिंह चौधरी	छिन्दवाड़ा	अनु. जाति	सहायक कृषि यंत्री इंदौर
20	सुश्री स्वाति सिंह मरावी, पिता श्री रमेश सिंह मरावी	अनूपपुर	अनु. जनजाति	सहायक कृषि यंत्री बुरहानपुर
21	सुश्री पूनम कोराम, पिता श्री भरत लाल कोराम	मण्डला	अनु. जनजाति (विकलांग)	सहायक कृषि यंत्री डिण्डोरी
22	सुश्री नीलम सिरसाम, पिता श्री सोनबा सिरसाम	बैतूल	अनु. जनजाति	सहायक कृषि यंत्री खण्डवा

परिवीक्षा अवधि के लिये नियुक्ति की शर्तें:-

1. नियुक्ति अभ्यार्थियों की आपसी वरिष्ठता म.प्र.कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल के क्रम के अनुसार रहेगी।
2. अभ्यार्थियों के सम्पूर्ण सेवाकाल में म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
3. अभ्यार्थी परिवीक्षा अवधि स्थाईकरण वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1972 में संशोधन दिनांक 10 फरवरी 2016 के अनुसार सेवा शर्तें नियम से अधीन होंगे।
4. उक्त अस्थाई नियुक्ति के दौरान इसकी सेवाये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संतोषप्रद न पाये जाने पर किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर तथा सुनवाई के उपरांत समाप्त की जा सकेगी।
5. यह नियुक्तियाँ म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24.11.2012 के अनुसार चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त नियुक्त किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
6. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7-19/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.6 दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जांच नियुक्ति आदेश के बाद उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यता जाये।

7. चयनित/नियुक्त उम्मीदवार को मेडिकल बोर्ड से उपयुक्ता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. नियुक्त उम्मीदवार को अपने पदस्थापना स्थल पर आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जायेगा। समयावधि पश्चात् कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
9. चयनित / नियुक्त उम्मीदवार को शैक्षणिक अर्हता सबंधी सभी मूल प्रमाण-पत्रों, निःशक्तजनो के लिये निःशक्तता प्रमाण पत्र मूल एवं उनकी सत्यापित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की जायेगी जिसकी जाँच संबंधित अधिकारी / कार्यालयों प्रमुख द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व की जावेगी, तथा इसको सेवा पुस्तिका में इंद्राज करना अनिवार्य होगा। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है तो कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इसकी जानकारी शासन को दी जाकर परामर्श प्राप्त किया जायेगा।
10. चयनित/नियुक्त उम्मीदवार को निर्देशित किये जाने पर समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साथ ही विहित विभागीय परीक्षा आदि (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
11. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
12. यदि किसी भी समय चयनित उम्मीदवार द्वारा विभाग, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल/एम. पी. ऑनलाईन लिमिटेड भोपाल अथवा पुलिस की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है अथवा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें पूर्ण नहीं पायी जाती है तो उसकी सेवा तत्काल बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
13. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी एक पत्नी पूर्व से जीवित है, यदि ऐसा पाया जाता हैं तों चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
14. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान जीवित होने पर एक का जन्म यदि 26 जनवरी, 2001 को या उनके पश्चात हुआ हो, एसे उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु अपात्र माना जावेगा।
15. मध्यप्रदेश वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/4 दिनांक 13.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.07.2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित होने वाले अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
16. परिवीक्षा अवधि में पदस्थापना स्थल परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
17. उपरोक्तानुसार नियुक्तियों की प्रविष्टियाँ विभाग द्वारा संधारित आरक्षण रोस्टर पंजी में यथास्थान की गई हैं।

18. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन 1994) के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा 1 के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

19. जो अभ्यार्थी शासकीय सेवक के रूप में केन्द्र/ राज्य शासन के अधीन अथवा किसी निगम/मंडल आदि में कार्यरत है तो वे अपने उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अपना त्यागपत्र की प्रति प्रस्तुत करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अवनीश मिश्रा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 30/09/2025

पृ.क्रमांक /**के.सी.-2/98/2025-26**

प्रतिलिपिः- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु अग्रेषित।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. आयुक्त, संभाग ....(समस्त) (म.प्र.)।
6. कलेक्टर जिला ....(समस्त) (म.प्र.)।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला..................................(समस्त) (म.प्र.)।
8. जिला मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय............(संबंधित)।
9. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री .... (समस्त)।
10. सहायक कृषि यंत्री .... (समस्त)।
11. जिला कोषालय अधिकारी .... (समस्त)।
12. संबंधित श्री/श्रीमति/सुश्री/कु................................. की ओर पालनार्थ।
13. आदेश नस्ती।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग